न्यायलय – श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर
प्र क / 2015 निगरानी

सजनसिंह पिता अजयसिंहजी राजपुत
निवासी – ग्रम मलोडा तह. बडनगर जिला उज्जैन ..... प्रार्थी

विरूद्व

01. राजकुँवरबाई पति सबलसिंहजी राजपुत
02. विक्रमसिंह पिता सबलसिंहजी राजपुत
03. सावंतसिंह पिता सबलसिंहजी राजपुत
04. राजेन्द्रसिहं पिता सबलसिहजी
05. यशपालसिह पिता पदमसिंहजी राजपुत

समस्त निवासी ग्रम मलोडा तह. बडनगर जिला उज्जैन
.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 भु. राजस्व संहिता न्यायालय – तहसीलदार बडनगर द्वारा प्रकरण कमांक – 10 अ 13 /13.14 मे पारित आदेश दिनॉक– 30/08/2014 से शुब्ध होकर ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदनपत्र निम्नलिखीत सविनय पेश है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि प्रतिप्रार्थीगण ने प्रार्थी के विरूद्व तहसीलदार तहसील बडनगर मे न्यायालय मे एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 131 भु राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया था साथ एक ही आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 भु राजस्व संहिता प्रतिप्रार्थी ने प्रस्तुत किया था। जो प्रकरण कमांके **10 अ /13/ 13.14** पर दर्ज हुआ ।

02. यह कि उक्त प्रकरण मे प्रतिप्रार्थीगण का धारा 32 भु राजस्व संहिता का आवेदनपत्र निरस्त हो चुका है उसके बाद प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत हुआ है।यह कि प्रतिपरिक्षण की तैयारी के दौरान प्रार्थी के मुख्य परिक्षण का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्राथ्री राजेन्द्रसिंह ने अपने मुख्य परिक्षण का शपथपत्र जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसकी चरण 08 मे राजस्व निरिक्षक रिपोर्ट का उल्लेख किया है ।

03. यह कि उक्त राजस्व निरिक्षक रिपोर्ट जो प्राथ्री ने सॉठगॉठ कर तैयार करवायी थी वह बिना किसी संहिता की धारा के जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था । उसके आधार पर तैयार करवायी थी उसमे बिना किसी आदेश के प्रार्थी द्वारा प्रतिप्राथ्री के रूप मे पेन से पक्षकार बनाया था। उक्त आवेदनपत्र के दौरान प्रार्थी ने जो आवेदनपत्र दिनॉक– 30/08/2014 पेश किया था। उसके अभिवचन व बाद मे जो आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 131 भु राजस्व संहिता को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है उसके अभिवचन मे भिन्नता है साथ ही दोनो आवेदनपत्रो की प्रार्थना मे भी भिन्नता है। ऐसे प्रतिप्राथ्री प्रतिपरिक्षण करना सम्भव नही है।

निरन्तर.....02

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3521–तीन / 15 [सज्जनसिंह / राजकुंवरबाई] जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–9–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर कि उनके समक्ष प्रकरण में दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, अतः किस आवेदन पत्र को मुख्य आवेदन पत्र माना जाये । इस संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि मूल आवेदन पत्र को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत मानते हुए प्रकरण का निराकरण किया जाये । प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की ज़ाती है । अध्यक्ष	